मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2004 (फाल्गुन 7, 1925)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 6 प्रश्नों के उत्तर तथा 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. स्वागत

केन्द्रीय खेल एवं युवक कल्याण मंत्री, श्री विक्रम वर्मा की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन द्वारा उनका स्वागत किया गया।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने सतना जिले के विधान सभा क्षेत्र रामपुर बघेलान अंतर्गत ग्राम बढोरा के प्रभावशाली व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा एक विशेष जाति के लोगों के साथ मारपीट किये जाने,

(2) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने रीवा सम्भाग के पुरातात्विक महत्व के स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किये जाने,

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य ने जीरापुर तहसील अंतर्गत कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने,

(4) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने बैतूल में पानी रोको अभियान अंतर्गत तालाब खुदाई में मजदूरों को काम न दिये जाने,

(5) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को मानदेय न मिलने,

(6) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने भिण्ड जिले के ऊमरी कस्बे तथा आस-पास के क्षेत्रों में पशुओं में अज्ञात बीमारी होने,

(7) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य ने विधवा पेंशन प्रकरणों की सूची का निराकरण किये जाने,

(8) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य ने जिला छतरपुर के थाना राजनगर अंतर्गत ग्राम तालगांव में एक व्यक्ति की हत्या होने, तथा

(9) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामों में सूखा राहत के तहत किये गये कार्यों का मजदूरी का भुगतान न किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री ने मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000, तथा

(2) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, समाज कल्याण मंत्री ने -

(क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, निःशक्त जन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003,

पटल पर रखे.

5. राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक को पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 1997 को यथापारित "मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 41 सन् 1997)" जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया है, को प्रमुख सचिव सदन के पटल पर रखेंगे.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, डॉ. ए.के.पयासी ने मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 1997 को यथापारित और महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए रूप में मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 41 सन् 1997) को मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार पटल पर रखा।

6. ध्यान आकर्षण

(1) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने रीवा जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों के छात्रों को दलिया वितरण हेतु आवंटित गेहूं को बाजार में बेचे जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ओम प्रकाश धुर्वे, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले की पनारी सेवा सहकारी समिति द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के -

(क) ओरछा पर्यटन केन्द्र पर पुलिस बल बढ़ाये जाने, तथा

(ख) ओरछा-चकरपुर मार्ग के मरोड़ पुल से चकरपुर तक सड़क बनाये जाने,

संबंधी याचिका प्रस्तुत की।

(डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनकी याचिकाएं प्रस्तुत नहीं हो सकी)

8. वक्तव्य

(1) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर, मंत्री ने वृत्तिकर की दरों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

(2) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने लघु उद्योगों हेतु उद्योग मित्र योजना, 2004 के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एव स्वीकृति

श्री मधुकर हर्णे, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि-

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी एवं 5 मार्च, 2004 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की है।

अशासकीय संकल्प

		शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2004	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-4,7,10)	पं. हरिचरण तिवारी श्री रमेश सक्सेना श्री उमाशंकर गुप्ता	50 मिनट

2.	(क्रमांक-13,14)	श्री अखंड प्रताप सिंह डॉ. आई.एम.पी. वर्मा.	50 मिनट
3.	(क्रमांक-32)	श्री कमल पटेल	50 मिनट

शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 2004

1.	(क्रमांक 19)	श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर	50 मिनट
2.	(क्रमांक-25,26)	श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा श्री छत्रपति सिंह	50 मिनट
3.	(क्रमांक-41)	श्री रविन्द्र महाजन	50 मिनट

श्री मधुकर हर्णे, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध विधेयक, 2004 (क्रमांक 3 सन् 2004) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

11. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

" राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ हुई पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

(1) श्रीमती अर्चना दीदी

(2) डॉ. गोविन्द सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री दिलीप भटेरे

(4) श्री राजेश पटेल

(5) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(6) कुंवर विजय शाह

(भाषण अपूर्ण)

(1.00 बजे से 2.32 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

कुंवर विजय शाह, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(7) श्री अर्जुन पलिया

(8) श्री राजवर्धन सिंह

(9) श्री दरबू सिंह उईके

(10) श्री भगत सिंह नेताम

(11) श्री हरवंश सिंह

(12) श्री नारायण त्रिपाठी

(13) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़

(14) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(15) श्रीमती रंजना बघेल

(16) श्री रूस्तम सिंह

(17) श्री अंतर सिंह दरबार

(18) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

मुख्यमंत्री, सुश्री उमा भारती ने चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के अनुरोध के कारण तथा सदन की माननीय नेता एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष से हुई चर्चा अनुसार सदन की बैठक सोमवार दिनांक 01 मार्च 2004 को स्थगित की गई है, साथ ही कल दिनांक 27 फरवरी 2004 को वर्ष 2004-2005 का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना है, इसलिए कल शुक्रवार को अशासकीय कार्य नहीं लिया जायेगा।

मै समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

5.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2004 (फाल्गुन 8, 1925) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.